बरुण मित्रा भा.प्र.से.
Barun Mitra, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

अर्ध शासकीय पत्रांक 15011/35/2021-न्याय (एयू) **दिनांक 16 अप्रैल, 2021**

मैं आपको न्याय विभाग से संबंधित मार्च, 2021 माह की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना चाहूंगा।

1. उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति:

मार्च, 2021 के दौरान नौ (09) अपर न्यायाधीशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

2. उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति:

मार्च, 2021 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में अर्थात कर्नाटक (03) छत्तीसगढ़ (02) और इलाहाबाद (07) कुल बारह (12) अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

3. 2020-21 में विभाग का बजट व्यय:

वर्ष 2020-21 के लिए विभाग का संशोधित बजट विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 971.68 करोड़ रुपये सहित 1197.73 करोड़ रुपये था । यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष के दौरान, विभाग ने योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का 99.78% खर्च किया है और विभाग का कुल व्यय 99.13% था।

4. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी):

मार्च, 2021 के दौरान 08 राज्यों को केंद्रीय हिस्सेदारी (निर्भया फंड) के रूप में 24.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट तहत आवंटित 100% धनराशि यानी 160.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 344 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 635 फास्ट ट्रैक कोर्ट 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हैं, जिनमें 43000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

5. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का चरण II:

- केरल परिवहन विभाग द्वारा एक नए वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। 12 वर्चुअल कोर्ट द्वारा 58 लाख से अधिक (58,29,028) मामलों को संभाला गया है और 30 मार्च, 2021 तक 13 लाख से अधिक मामलों में 152 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है। वर्तमान में 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में 12 वर्चुअल कोर्ट हैं।

- सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने मई, 2020 से दिसंबर, 2020 तक महामारी की अवधि के दौरान 1,67,735 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 19 ऑनलाइन ई-कमेटी प्रशिक्षण (ईसीटी)/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इससे वकीलों और वादकारियों के बीच आईसीटी विकास की पहुंच में काफी मदद मिली है।

6. व्यापार करने में आसानी:

- न्याय विभाग की निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की सहायता से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार ने दिल्ली में अधिक समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के लिए 42 अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।

- नया ई-फाइलिंग संस्करण 3.0 महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। उन्नत ई-फाइलिंग प्रणाली कई उन्नत सुविधाओं के साथ कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सक्षम बनाती है।

- **न्याय विभाग ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, एनआईसी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी, के सहयोग से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ पंजीकृत कंपनियों के डेटाबेस तक पहुंचकर, वाणिज्यिक न्यायालयों को ईमेल और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और ई-समन की सेवा के लिए सक्षम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। यह वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में शामिल कंपनी के वाणिज्यिक अदालत केस नंबर, सीआईएन और डीआईएन को निर्दिष्ट करके ऑटो-जनरेटेड ई-समन को सक्षम करेगा। कंपनियों के डेटाबेस का उपभोग करने के लिए एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैच का मुंबई में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और वर्तमान में इसका परीक्षण दिल्ली में किया जा रहा है।**

7. **"भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (दिशा)"**:

- **न्याय विभाग ने वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए "न्याय तक पहुंच पर नवोन्मेषी समाधान और समग्र दृष्टिकोण डिजाइन करना (दिशा)" तैयार करके न्याय तक पहुंच को फिर से डिजाइन और मजबूत किया है। 250.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, दिशा का लक्ष्य न्याय प्रदायगी में अंतराल को पाटने के लिए विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे न्याय तक पहुंच के विभिन्न घटकों को एकीकृत और विलय करना है। यह तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है जिसमें टेली-लॉ और न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करना; न्याय मित्र के माध्यम से एक दशक से अधिक पुराने लंबित मामलों में कमी, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों की मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव शामिल है। न्याय तक पहुंच पर कुछ सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को शामिल करते हुए दिशा के तहत एक अखिल भारतीय कार्य योजना विकसित की गई है।**

- **दिशा के तहत, टेली-लॉ कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा, जिसमें हर साल 50,000 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी, ताकि मुकदमे-पूर्व कानूनी सलाह लेने वाले 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया जा सके। न्याय बंधु कार्यक्रम का लक्ष्य 35,000 प्रो बोनो वकीलों और 80 लॉ स्कूलों को वर्ष 2026 तक प्रो बोनो क्लब योजना के तहत सूचीबद्ध करना है। पुराने मामलों की पेंडेंसी कम करने के लिए 80 न्याय मित्र वर्ष 2021-26 की अवधि के दौरान लगाए जाएंगे। अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के**

लिए, लगभग 55 लाख आबादी तक पहुंचने के लिए 2021-26 के दौरान 55 एजेंसियों/सीएसओ को लगाया जाएगा।

8. टेली-लॉ:

75,087 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 23337 महिलाएं, 20987 अनुसूचित जाति, 16617 अनुसूचित जनजाति और 22387 ओबीसी लाभार्थी शामिल थे। 31 मार्च, 2021 तक कुल सक्षम सलाह 7,22,280 मामलों तक पहुंच गई है। 10 राज्यों में 29 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं जिनमें 688 वीएलई और 618 पीएलवी ने भाग लिया है। टेली-लॉ पर ई-बुकलेट का दूसरा संस्करण जिसका शीर्षक "लाभार्थियों की आवाज़" है, 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था, जो भारत के अमृत महोत्सव के साथ मेल खाता था।

9. न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज):

माह के दौरान न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 58 नए वकीलों ने पंजीकरण कराया। अब तक कुल 2535 वकीलों ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया है, माह के दौरान न्याय बंधु पैनल के तहत कलकत्ता, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों द्वारा 71 प्रो बोनो वकीलों को नामांकित किया गया है, अब तक 11 उच्च न्यायालयों द्वारा 411 प्रो बोनो वकीलों को नामांकित किया गया है। प्रो बोनो क्लब योजना के अंतर्गत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर के 6 विधि छात्र शामिल हुए।

10. पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्याय तक पहुंच:

जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 08 चयनित कानूनों पर 280 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे लगभग 12,000 व्यक्तियों को लाभ हुआ।

11 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए):

- चंडीगढ़ एसएलएसए ने समाज कल्याण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम, चंडीगढ़ में पहला बहु-विषयक केंद्र "बाल कल्याण केंद्र-कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर" और "डिजिटल लाइब्रेरी" लॉन्च किया।

- **भारत का अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर, कानूनी सेवा संस्थाओं ने आदिवासी लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध निराकरण के बारे में जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न जिलों में 761 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। झारखंड एसएलएसए ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों, एकल महिलाओं, विधवाओं और उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए मानवता परियोजना के तहत लगभग 3961 लोगों की मदद की।**

12. एसीसी निर्देशों का अनुपालन न करना:

शून्य

भवदीय,

हस्ताक्षर /-

(बरुण मित्रा)

श्री राजीव गौबा
कैबिनेट सचिव,
कैबिनेट सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

प्रति:

माननीय विधि एवं न्यायमंत्री के निजी सचिव, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(बरुण मित्रा)